न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–03/2021 (2021/3) दर्ज दिनांक 15.01.2021

प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

अनवान

1. उमेशचन्द्र पिता उरजन लाल पुरोहित निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. कृष्णा बाई पुत्री उरजन लाल पुरोहित निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. पुष्पेन्द्र कुमार पिता उरजन लाल पुरोहित निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. पुष्पा बाई पिता उरजन लाल पुरोहित निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. महेशचन्द्र पिता उरजन लाल पुरोहित निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. रमेशचन्द्र पिता उरजन लाल पुरोहित निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. सज्जन बाई पिता उरजन लाल पुरोहित निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार उपं पंजीयक सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
2. गंगा देवी पत्नी विनोद कुमार नेहरिया निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा।
3. चेतन कुमार पिता नन्दलाल तेली निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. प्रद्युमनदेवसिंह पिता सम्पतसिंह भाटी निवासी माधुपुरा मजरा, आलोली, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. राजेन्द्रसिंह पिता जीवनसिंह राजपुत निवासी सिंगोली चारभुजा, तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
6. राजेन्द्र कुमार पिता छीतरलाल दाधीच निवासी कोशीथल, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. शंकरलाल पिता उदयलाल तेली निवासी मानपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)।
8. अनिता पत्नी सुनिल कुमार दाधीच निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

[illegible] कैलाशचन्द्र पिता भैरूलाल तेली निवासी मानपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)।

[illegible] नंदलाल पिता सोहनलाल तेली निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

[illegible] [illegible]लाल पिता गिरधारीलाल कुमावत निवासी अरनिया जागीर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

[illegible] राधेश्याम पिता हरलाल कुमावत निवासी कोशीथल, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

[illegible] [illegible]लाल पिता उदयलाल खारोल निवासी तीन मंगरी, खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

[illegible] विक्रमसिंह पिता दशरथ सिंह चुण्डावत निवासी कोशीथल, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

[illegible] विद्या पत्नि रामगोपाल जागेटिया निवासी कोशीथल, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

[illegible] भानुसिंह पिता हरीसिंह राठौड़ निवासी ए/17, हरिधाम सोसायटी, बमराली मार्ग, सुरत (गुजरात)

[illegible] अमित सुरिया पिता बंशीलाल सुरिया (महाजन) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवड़ा।

[illegible] मुन्नी देवी पत्नि बंशीलाल सुरिया (महाजन) निवासी कोशीथल, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

[illegible] मोहम्मद शरीफ पिता ईस्माईल मुसलमान निवासी कोशीथल, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री सुनिल बापना
अधिवक्ता विपक्षी सं0 2 लगायत 18: श्री सुनिल कुमार जैन
पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं इन्द्राज दुरूस्ती ::

निर्णय दिनांकः–16.07.2021

:: निर्णय::

[illegible] में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 [illegible] अधिनियम एवं इन्द्राज दुरूस्ती के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर प्रार्थीगण [illegible] संख्या 19 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 4376 रकबा [illegible] हल्के आबादी ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित है। [illegible] प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

2.

कलेक्टर
अधिकारी)
भीलवाड़ा (राज0)

यह कि हाल आराजी संख्या 4376 रकबा 0.72 हे0 के साबिक आराजी संख्या 1823 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा थे। प्रमाण में प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2009 मेवाड सेटलमेन्ट व मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश है।

यह कि साबिक आराजी संख्या 1823 जिसके नवीन नम्बर 4376 कायम हुए उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि आराजी हैं जिसके चारो तरफ लगभग 80 वर्षो से थोहरों की बाड़ की हुई हैं जिस पर प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 19 निर्बाध एवं निरन्तर रूप से कृषि करते चले आ रहे है।

यह कि दौराने सेटलमेन्ट भू–प्रबंध विभाग ने बिना किसी आधार व अधिकार के प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 1823 के नवीन नम्बर 4376 कायम कर नवीन नक्शे की आकृति साबिक नक्शे अनुसार नहीं कर नवीन नक्शे की आकृति में परिवर्तन कर दिया, प्रार्थीगण की आराजी संख्या 4376 के नवीन नक्शे को छोटा करते हुए विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 18 की आराजी संख्या 4383 / 1, 7783 / 4383, 7784 / 4383, 7785 / 4383, 7786 / 4383 व 4377 मे मिला दिया। जिससे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 4376 का कुछ भाग आराजी संख्या 4383 / 1 में 0.0025 हे0, 4377 में रकबा 0.0455 हे0, 7783 / 4383 में 0.029 हे0, 7784 / 4383 में रकबा 0.025 हे0, 7786 / 4383 में रकबा 0.0080 हे0 व आराजी संख्या 7785 / 4383 में कुछ हिस्सा नवीन नक्शे में दर्शा दिया जो गलत है। भू–प्रबंध अधिकारियों को इस तरह से नक्शे की आकृति में परिवर्तन करने का कतई अधिकार नहीं है।

यह कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 19 की साबिक आराजी संख्या 1823 के नवीन आराजी संख्या 4376 के नवीन नक्शे में आकृति में परिवर्तन हो जाने का फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 लगायत 18 ने दिनांक 28.10.2020 को नाजायज रूप से ताकत के बल पर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 4376 पर लगी थोहरों की बाड को काट दिया व मौके पर निर्माण सामग्री डलवाकर निर्माण करने पर आमादा हुए और प्रार्थीगण के मना करने पर भी नहीं मना रहे है व अतिशीघ्र मौके पर आराजी संख्या 4383 / 1 , 7783 / 4383 , 7784 / 4383, 7785 / 4383, 7786 / 4383 व 4377 व आराजी संख्या 4376 में निर्माण कर आराजीयात को विक्रय करने वाले है जिनका कि उनको कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रमाण में प्रमाणित प्रति नवीन नक्शा ट्रेस, साबिक नक्शा ट्रेस व पेन्टोग्राफ नक्शा जो सेवानिवृत निरीक्षक भू–प्रबंध विभाग, भीलवाड़ा द्वारा बनाया गया प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 19 की ग्राम कोशीथल स्थित आराजी संख्या 4376 जिसके साबिक आराजी संख्या 1823 थे की आकृति को साबिक नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में दुरूस्ती कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण विधिवत् दिनांक 15.01.2021 पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट एवं इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् स्थगन का पेश करने पर एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 15.01.2021 को जारी किया गया। पेरोकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 लगायत 18 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी वक्त दौरान विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 18 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व धारा 151 जा0 दी0 का पेश किया। जिसका जवाब वकिल प्रार्थी ने 09.07.2021 को पेश किया जिसकी प्रति अधिवक्ता विपक्षीगण को दिलवाई जाकर प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व धारा 151 जा0 दी0 में अंकित कथन के समर्थन में अधिवक्ता विपक्षी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिससे न्यायहित में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व धारा 151 जा0 दी0 का स्वीकार किया जाकर द्विपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पर पर मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट तहसीलदार सहाड़ा से तलब की गई जो इस प्रकार है:–

1. यह कि ग्राम कोशीथल के वर्तमान आराजी नं0 4376 रकबा 0.72 हे0 होकर मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नं0 1823 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा से नवीन आराजी नं0 4376 बनाया गया हैं।
2. यह कि उक्त आराजी नं0 4376 रकबा 0.72 हे0 वर्तमान में प्रार्थीगण उमेशचन्द्र , रमेशचन्द्र, महेशचन्द्र, पुष्पेन्द्र कुमार पिता उरजन लाल पुरोहित वगैरा के नाम दर्ज रेकार्ड है।
3. यह कि साबिक आराजी नं0 1823 के नक्शे एवं वर्तमान आराजी नं0 4376 के नक्शे का मिलान करने पर नक्शे की आकृति में अन्तर (तफावत) आता है। मौके पर वादीगणों का कब्जा काश्त साबिक आराजी नं0 1823 अनुसार ही हैं।
4. यह कि साबिक नक्शे (आराजी नं0 1823 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा) की वर्तमान नक्शे (आराजी नं0 4376 रकबा 0.72 हे0) में आकृति मौके अनुसार नहीं बनाने से साबिक नक्शे अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है।

विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर जवाब नही देकर सीधी मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थना पत्र पर बहस करना चाही। उभयपक्ष अधिवक्तागण को मजमे आम सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने मौका रिपोर्ट पर सहमती जताते हुए साबिक नक्शा अनुसार वर्तमान नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन किया।

4.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
... जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या :— 03 / 2021(2021 / 3)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र, मौका रिपोर्ट एंव राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गहन मनन किया। चूंकि तहसीलदार सहाड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार यह कि ग्राम कोशीथल के वर्तमान आराजी नं0 4376 रकबा 0.72 हे0 होकर मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नं0 1823 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा से नवीन आराजी नं0 4376 बनाया गया हैं। साबिक आराजी नं0 1823 के नक्शे एवं वर्तमान आराजी नं0 4376 के नक्शे का मिलान करने पर नक्शे की आकृति में अन्तर (तफावत) आता है। मौके पर प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त साबिक आराजी नं0 1823 अनुसार ही हैं। साबिक नक्शे (आराजी नं0 1823 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा) की वर्तमान नक्शे (आराजी नं0 4376 रकबा 0.72 हे0) में आकृति मौके अनुसार नहीं बनाने से साबिक नक्शे अनुसार शुद्धि किया जाना किया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा को राजस्व ग्राम कोशीथल की साबिक आराजी संख्या 1823 के साबिक नक्शे अनुसार वर्तमान आराजी संख्या 4376 के नक्शे में शुद्धि किये जाने का आदेश दिया जाता है तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दारामद किया जावे। साथ ही मूल प्रार्थना पत्र निर्णित हो जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट एवं इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् कथन पर जारी एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 15.01.2021 को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 5.